Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 151: Attachment of debts and shares, etc.

- (1) A debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any court shall be attached by a written order in **FORM GST DRC-16** prohibiting,-
 - (a) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the receipt of a further order from the proper officer;
 - **(b)** in the case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon:
 - (c) in the case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it to the defaulter.
- (2) A copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the proper officer, and another copy shall be sent, in the case of debt, to the debtor, and in the case of shares, to the registered address of the corporation and in the case of other movable property, to the person in possession of the same.
- (3) A debtor, prohibited under clause (a) of sub-rule (1), may pay the amount of his debt to the proper officer, and such payment shall be deemed as paid to the defaulter.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 151 : ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की

- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम संपत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाय ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—16 में लिखित आदेश द्वारा—
 - (क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जब तक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता
 - (ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से;
 - (ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा।
- (2) ऐसी आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- (3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा।